रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 448] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 1985/भाद्र 27, 1907
No. 448] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 18, 1985/BHADRA 27, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1985

का. आ. 676 (अ) :—रेल सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 60) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम को लागू होने की तारीख 20 सितम्बर, 1985 निश्चित करती है ।

[फाइल सं 84/डीजी/आरपीएफ/एएफ/कानफीडेंसियल]

अमर नाथ वांचू, सचिव, रेलवे बोर्ड ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 1985

S.O. 676(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 1 of the Railway Protection Force (Amendment) Act, 1985 (60 of 1985), the Central Government hereby appoints the 6th September, 1985, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 84/DG RPF/AF/Confdl.]

A. N. WANCHOO, Secy. Railway Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985